संख्या–752/नौ–9–16–123ज/11

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2016

विषय– 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में सामान्य बुनियादी एवं सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यो के भुगतान की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में सामान्य बुनियादी एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यो के सापेक्ष लम्बित भुगतान की कार्यवाही किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत कराये गये ऐसे कार्य, जो पूर्ण कर लिये गये हैं तथा जिनके मात्र भुगतान की कार्यवाही ही शेष रह गयी है, का भुगतान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इस कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य तेरहवें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण किये गये हों। कृपया उक्त आदेशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2. प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी(द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय),उ0प्र0
2. समस्त कोषाधिकारी(द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय),उ0प्र0
3. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधि. अधिकारी,नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत,उ0प्र0।
5. वित्त संसाधन(वित्त आयोग)अनुभाग–1
6. वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता)अनुभाग–1
7. गार्ड फाइल/~~वेब~~ मास्टर,वेब साइट पर लोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

Spgo-2